



## प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।

### प्रेस-विज्ञप्ति

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विकसित विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय सह व्यावसायिक/व्यावसायिक भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से आवंटन कराने हेतु ऑन लाइन पंजीकरण आवेदन "अमर उजाला", "दैनिक जागरण" व "हिन्दुस्तान" दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 16.08.2024 से 30.08.2024 तक आमंत्रित किये गये थे, किन्तु अपरिहार्य कारणवश उक्त पंजीकरण अवधि बढ़ाते हुए पुनः दिनांक 01.09.2024 से दिनांक 30.09.2024 तक ऑन लाइन पंजीकरण आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवंटन हेतु रिक्त सम्पत्तियों एवं पंजीकरण आदि से सम्बन्धित पूर्ण विवरण प्राधिकरण के वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) एवं पूर्व विज्ञापन में देखा जा सकता है।

अतः उक्त अवधि में ऑन लाइन पंजीकरण आवेदन [janhit.upda.in](http://janhit.upda.in) पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके हुये ऑन लाइन पंजीकरण धनराशि जमा करना होगा।

31/08/2024

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव



# प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

कार्यालय : 7वाँ एवं 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

## स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पंजीकरण हेतु सुनहरा अवसर

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा विकसित विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय सह व्यवसायिक/व्यवसायिक भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से आवंटन कराने का स्वर्णिम अवसर।

पंजीकरण आवेदन तिथि— 16.08.2024 से 30.08.2024 तक

रिक्त आवासीय सह व्यवसायिक/व्यवसायिक भूखण्डों का विवरण  
(आवंटन नीलामी के माध्यम से)

## विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय सह व्यवसायिक/व्यवसायिक भूखण्डों का विवरण

क्र०सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति श्रेणी	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी०)	भूखण्ड का मूल्य प्रति वर्गमीटर (रु० में)	प्रति भूखण्ड अनुमानित मूल्य (रु० में)	भूखण्ड का कुल अनुमानित मूल्य (रु० में)	पंजीकरण धनराशि (रु० में)	रिक्त भूखण्ड नम्बर	
1	नीम सराय आ० यो०	COMMERCIAL PLOT	1	30.90	61600.00	1903440.00	1903440.00	190344.00	5	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	30.90	61600.00	1903440.00	1903440.00	190344.00	8A	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	25.185	61600.00	1551396.00	1551396.00	155139.60	9	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	26.355	61600.00	1623468.00	1623468.00	162346.80	10	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	27.42	61600.00	1689072.00	1689072.00	168907.20	11	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	28.59	61600.00	1761144.00	1761144.00	176114.40	12	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	20.10	61600.00	1238160.00	1238160.00	123816.00	13	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	23.318	61600.00	1436388.80	1436388.80	143638.88	14A	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	38.02	61600.00	2342032.00	2342032.00	234203.20	15	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	19.50	61600.00	1201200.00	1201200.00	120120.00	33	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	19.50	61600.00	1201200.00	1201200.00	120120.00	34	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	19.50	61600.00	1201200.00	1201200.00	120120.00	35	✓
2	नैनी आवास योजना, नैनी (विश्व बैंक परियोजना)।	COMMERCIAL PLOT	1	63.00	61600.00	3880800.00	3880800.00	388080.00	1	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	2	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	3	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	4	✓

		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	5	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	6	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	7	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	8	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	57.15	61600.00	3520440.00	3520440.00	352044.00	9	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	50.85	61600.00	3132360.00	3132360.00	313236.00	10	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	11	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	12	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	13	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	14	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	15	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	16	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	45.00	61600.00	2772000.00	2772000.00	277200.00	17	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	63.00	61600.00	3880800.00	3880800.00	388080.00	18	✓
3	नैनी आवास योजना, नैनी।	COMMERCIAL PLOT	1	166.71	66000.00	11002860.00	11002860.00	1100286.00	CD-1	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	152.13	66000.00	10040580.00	10040580.00	1004058.00	CD-2	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	137.55	66000.00	9078300.00	9078300.00	907830.00	CD-3	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	122.97	66000.00	8116020.00	8116020.00	811602.00	CD-4	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	108.39	66000.00	7153740.00	7153740.00	715374.00	CD-5	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	117.30	66000.00	7741800.00	7741800.00	774180.00	CD-6	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	100.43	66000.00	6628380.00	6628380.00	662838.00	CD-7	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	166.25	66000.00	10972500.00	10972500.00	1097250.00	CD-8	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	127.50	66000.00	8415000.00	8415000.00	841500.00	CD-9	✓
4	प्रधानमंत्री आवास योजना, कालिन्दीपुरम। गोकुल सेक्टर	COMMERCIAL PLOT	1	100.03	69300.00	6932079.00	6932079.00	693207.90	1	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	100.03	69300.00	6932079.00	6932079.00	693207.90	2	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	100.03	69300.00	6932079.00	6932079.00	693207.90	3	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	119.05	69300.00	8250165.00	8250165.00	825016.50	4	✓



5	अम्बेडकर विहार आवास योजना।	COMMERCIAL PLOT	1	70.52	77000.00	5430040.00	5430040.00	543004.00	2	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	68.48	77000.00	5272960.00	5272960.00	527296.00	3	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	79.47	77000.00	6119190.00	6119190.00	611919.00	4	✓
6	कसारी मसारी आवास योजना।	COMMERCIAL PLOT	1	1794.22	71500.00	128286730.00	128286730.00	12828673.00	1	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	1007.04	71500.00	72003360.00	72003360.00	7200336.00	2	✓
		COMMERCIAL PLOT	1	812.78	71500.00	58113770.00	58113770.00	5811377.00	3	✓
7	कालिन्दीपुरम आवास योजना, कालिन्दीपुरम	RESIDENTIAL CUM COMMERCIAL PLOT	1	75.00	50325.00	3774375.00	3774375.00	377437.50	RK-40	✓
		RESIDENTIAL CUM COMMERCIAL PLOT	1	75.00	50325.00	3774375.00	3774375.00	377437.50	RK-52	✓

### भूखण्डों के आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें

- समस्त सम्पत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाइट [janhit.upda.in](http://janhit.upda.in) पर ही करनी होगी तथा स्पष्ट एवं पूर्ण आवेदन ऑनलाइन ही मान्य होगी। फॉर्म फीस रू0 500.00 होगी जो वापस देय नहीं होगा। पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन के माध्यम से होगी। फॉर्म की एक प्रति प्राधिकरण के कम्प्यूटर अनुभाग/राजस्व इन्चार्ज अनुभाग में दो कार्य दिवस में प्रेषित करना होगा।
- समस्त सम्पत्तियों का आवंटन नीलामी द्वारा किया जायेगा और नीलामी की तिथि आदि के विषय में सूचना समाचार पत्रों में एवं प्राधिकरण वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित की जायेगी।
- आवासीय सह व्यवसायिक/व्यवसायिक भूखण्डों के सापेक्ष स्वीकृत उच्चतम बोली के अन्तर्गत देय धनराशि की 25% धनराशि आवंटन के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा जिसमें जमा पंजीकरण की धनराशि भी सम्मिलित रहेगी। अवशेष 75% धनराशि आवंटन पत्र के निर्गत होने के 45 दिन के अन्दर अथवा 04 समान त्रैमासिक किश्तों में निर्धारित ब्याज सहित जमा किया जाना है। समय से भुगतान न करने पर दण्ड ब्याज देय होगा।
- रिक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी राजस्व सहायक से प्राप्त की जा सकती है।
- मौके पर भूखण्डों आदि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होने पर तदनुसार ही अन्तर धनराशि संशोधित की जायेगी और तदनुसार आवंटनी द्वारा उसका भुगतान किया जायेगा। भूखण्डों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- आवंटी को सम्पत्ति मूल्य के अतिरिक्त निर्धारित फ्री-होल्ड एवं अन्य शुल्कों में से जो देय होगा, उसका भुगतान करना होगा। विक्रय विलेख का समस्त व्यय, नगर निगम, जल संस्थान एवं अन्य विभागों के समस्त देयक आवंटनी को वहन करना होगा।
- सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य आवंटन के पश्चात् निर्धारित तिथि से पूर्व कभी भी जमा किया जा सकता है। सम्पूर्ण मूल्य जमा होने पर रजिस्ट्री सम्पादित होने के पश्चात् ही सम्पत्ति का कब्जा देय होगा आवंटित भूखण्डों पर विकास एवं निर्माण प्राधिकरण से नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर एवं मानचित्र स्वीकृत कराकर ही करना होगा।
- सम्पत्तियों के आवंटन में आरक्षण शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79बैठक/99 दिनांक 17.12.1999 के अनुसार लागू होगा, जिसके लिए वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त समस्त सम्पत्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ठ नागरिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है किन्तु सम्पत्ति के कुल मूल्य में छूट देय नहीं है। उक्त से सम्बन्धित (सक्षम प्राधिकारी से जारी) प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।

- अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। आधी पंजीकरण धनराशि अग्रिम के रूप में जमा होने वाली सम्पत्ति के मूल्य के 25% धनराशि में समायोजित कर जमा करना होगा।
10. नीलामी को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज, विकास प्राधिकरण, प्रयागराज में निहित है।
  11. विवाद की स्थिति में मामले का निस्तारण "प्रयागराज जनपद न्यायालय" के क्षेत्राधिकार में होगा।
  12. आवासीय सह व्यवसायिक/व्यवसायिक सम्पत्तियों के नीलामी में भाग लेने वाला इच्छुक व्यक्ति एक से अधिक परिसम्पत्तियों पर बोली लगा सकता है, प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक परिसम्पत्ति के लिये पृथक-पृथक पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन जमा कराना होगा। आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक व्यवसायिक सम्पत्तियां क्रय की जा सकती है। आवंटन के पश्चात् कोई आवंटी आवंटित सम्पत्ति को निरस्त कराता है तो जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
  13. प्राधिकरण/शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश एवं लागू समस्त नियमों का पालन करना होगा।
  14. नीलामी में 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही प्रतिभाग कर सकते हैं।
  15. सम्पत्ति "जैसी है, जहाँ है" के आधार पर नीलामी के माध्यम से आवंटित की जायेगी।
  16. नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी सूचना असत्य पाये जाने पर आवेदन/आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि स्वीकृत बोलीदाता कूट रचित अभिलेखों के आधार पर अथवा कपट, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव आदि के माध्यम से आवंटन प्राप्त करता है तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात् उपरोक्त प्रकार का कोई प्रतिकूल तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो विक्रय मूल्य का 50% धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
  17. नीलामी में प्रतिभाग करने वालों से अपेक्षा है कि नीलामी से पूर्व सम्पत्ति का विवरण, माप, चौहद्दी, स्वामित्व आदि की शुद्धता के विषय में आश्वस्त हो लें। यदि सम्पत्ति किसी बोलीदाता के पक्ष में आवंटित की जाती है तो यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा सम्पत्ति से सम्बन्धित विशेषताएं जैसे-स्वत्व इत्यादि के सम्बन्ध में सभी आपत्तियाँ त्याग दी हैं।
  18. नीलामी प्रक्रिया की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर अथवा पूरी प्रक्रिया को किसी भी समय व बोली स्वीकृत होने के पूर्व निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा। इसी प्रकार नीलामी प्रारम्भ होने के प्रावधान लागू करने का अधिकार उपाध्यक्ष प्र०वि०प्र०, प्रयागराज में निहित होगा, जिसकी सूचना नीलामी में भाग लेने वाले को नीलामी से पूर्व दे दी जायेगी।
  19. उक्त समस्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) पर उपलब्ध है।

(आलोक कुमार पाण्डेय)  
विशेष कार्याधिकारी/प्र० अधि० सम्पत्ति

(अजीत कुमार सिंह)  
सचिव

(अरविन्द कुमार चौहान)  
उपाध्यक्ष



प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।  
आवश्यक-सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.08.2024 को "दैनिक जागरण", "अमर उजाला" व "हिन्दुस्तान" में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त आवासीय सह व्यावसायिक/व्यावसायिक भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से आवंटन पंजीकरण आवेदन ऑन लाइन आमंत्रित किये गये थे, जिसमें भूखण्डों के आवंटन हेतु नियम व शर्तों के बिन्दु सं0-1 में पंजीकरण की प्रक्रिया प्राधिकरण की वेबसाइट [pdaprayagraj.org.in](http://pdaprayagraj.org.in) पर ही करनी होगी, त्रुटिवश टंकित हो गया है, जबकि वेबसाइट [janhit.upda.in](http://janhit.upda.in) टंकित होनी थी।

अतः उक्त वेबसाइट [janhit.upda.in](http://janhit.upda.in) पर ही पंजीकरण की समस्त प्रक्रिया सम्पादित करने के साथ पंजीकरण धनराशि ऑन लाइन जमा करना होगा। पंजीकरण धनराशि चालान के माध्यम से यूको बैंक, शाखा सिविल लाइन्स, में जमा नहीं करना होगा।

(आलोक कुमार पाण्डेय)  
विशेष कार्याधिकारी / प्र0अ0-सम्पत्ति